

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक
प्रति,

/स्टोर/2017,

भोपाल, दिनांक /09/2017

मेसर्स,
.....
.....
.....

विषय :- संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मे स्थापित प्रिन्टरों की काट्रेज रिफिलिंग एवं प्रिन्टरों के मरम्मत कार्य हेतु निविदा बाबत ।

—00—

उपरोक्त विषय मे लेख है कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, छठवीं मंजिल, भोपाल मे समस्त शाखाओं में स्थापित कुल 22 प्रिन्टर (सैमसंग-07 प्रिन्टर, एच. पी.-05 प्रिन्टर एवं केनन-10 प्रिन्टर) के न्यू काट्रेज रिफिलिंग तथा मेजिक ड्रम/चिप आदि के कार्य तथा उपरोक्त प्रिन्टरों की मरम्मत हेतु ए.एम.सी. (विथ पार्ट्स) के लिये एक वर्ष के लिये अनुबंधित किया जाना प्रस्तावित है । संचालनालय मे प्रिन्टर रिफिलिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रिन्टरों के मेक केनन/सेमसंग/एच.पी. के है, जिसकी सूची संलग्न है ।

अतः उक्त प्रिन्टरों में रिफिलिंग एवं मरम्मत कार्य करने के लिये आप अपना निविदा निम्न शर्तों के अधीन बन्द लिफाफे में निविदा संलग्न प्रोफार्मा में अंकित कर दिनांक 29/09/2017 सांयकाल 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में जमा करा सकते है विभागीय क्रय कमेटी द्वारा सांयकाल 04:00 बजे सुरक्षा राशि के लिफाफे उपस्थित निविदाकर्ता के समक्ष खोले जायेंगे व दिनांक 03/10/2017 को निविदा प्रपत्र-2 सांयकाल 12:00 बजे खोला जायेगा :-

1. निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से जो भोपाल पर देय होगा, पृथक लिफाफे नम्बर 1 मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संलग्न न होने पर निविदा प्रपत्र का लिफाफा नम्बर 2 नहीं खोला जायेगा ।
2. लिफाफे 1 के ऊपर "सुरक्षा राशि का ड्राफ्ट" तथा लिफाफे 2 पर निविदा प्रपत्र आवेद अंकित होना अनिवार्य है ।

15.09.17
श्री. मोहरी जयका श्रीवास्तव
संचालक चिकित्सा शिक्षा


3. कार्यालय समय मे स्थापित उपकरणों का अवलोकन किया जा सकता है व निविदा प्रपत्र व शर्तों की मांग किये जाने पर रूपये 50/- का M.P.T.C. से राशि जमा कर प्राप्त कर सकते है ।
4. सशर्त निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. निविदा पर अंतिम निर्णय संचालक चिकित्सा शिक्षा का होगा, जो अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।
6. न्यूनतम दर वाली फर्म को रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र 07 दिवस में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कार्य आदेश निरस्त कर सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी ।
7. रिफिलिंग आदेश लिखित/दूरभाष पर देने के 24 घण्टे में स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा विलम्ब हेतु 5% राशि की देयक से कटौती की जावेगी ।
8. कम्प्यूटर मेंटेनस Preventive प्रतिमाह कम से कम एक बार करनी होगी ।
9. पार्ट्स खराब होने पर 48 घण्टे मे बदला जाना अनिवार्य होगा विलंब की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था प्रदाय फर्मों का उत्तरदायित्व फर्म का होगा ।
10. एक सप्ताह के भीतर पार्ट Replace न होने पर Replace cost व 10 से 20% तक पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी ।
11. उपकरण खराब होने पर यदि कार्यालय से बाहर ले जाना होगा तो अधिकृत संवाहक जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित हो, को ही प्रदाय किया जा सकेगा ।
12. फर्म को प्रत्येक माह का देयक आगामी माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा । ताकि माह समाप्ति से पूर्व भुगताना किया जा सके ।
13. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा ।
14. कार्य संतोषजनक होने पर इसे समान दरों पर एक वर्ष हेतु आपसी सहमति से अधिकतम 2 बार बढ़ाया जा सकेगा ।
15. अनुबंध समाप्ति पर सभी उपकरणों को कार्यशील रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा । यदि कोई उपकरण/मशीन कार्यशील नहीं होगी तो जमा सुरक्षा राशि को राजसात किया जा सकेगा ।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

15.09.17
 (डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
 संचालक चिकित्सा शिक्षा

“संचालनालय चिकित्सा शिक्षा हेतु निविदा आवेदन पत्र”

- 1 फर्म/संस्था का नाम :
- 2 फर्म/संस्था का पता :
.....
.....
.....
- 3 फर्म/संस्था के संचालक/
प्रोपराईटर का नाम :
पता :
मोबाईल :
आधार नम्बर :
- 4 फर्म/संस्था का पंजीयन क्रमांक :
सर्विस क्रमांक :
पैन नम्बर :
- 5 विगत कितने वर्षों से कार्यशील है :
- 6 उपकरण वार रिफिलिंग दरों की :
सूची संलग्न करें
- 7 स्थापित मशीनों का A.M.C. (Annual :
Maintenance Contract) विथ पार्ट्स
रूपये जो
Inclusive of Tax है ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त कार्यो हेतु जारी शर्तो को पढ़ व समझ लिया है व मैं शर्तो से सहमत हूँ ।


15.09.17
(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

आवेदक का नाम :

हस्ताक्षर :